



Email: [cswriavikanagar@yahoo.com](mailto:cswriavikanagar@yahoo.com) दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163  
भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) – 304501  
**ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute**  
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



F.No. 6(377) SP/2017/

Dated- 02-01-2021

### NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under single bid system for **Job contract work for Division of Animal Genetics and Breeding of the Institute for help in research related activities in Sirohi goats** at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

#### CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.6(377)SP/2017
Date and Time for issue/Publishing	02-01-2021, 5.00 PM
Document Download/Sale start date and time	03-01-2021, 3.00 PM
Prebid Meeting of the Contractors	-
Bid Submission Start Date and Time	03-01-2021, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	23-01-2021, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	25-01-2021, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- EMD- Bid Securing Declaration Form Performance Security money –3 % of the value of the contract
Bank detail	ICAR UNIT CSWRI,Avikanagar payable State Bank of India Account No.51066000084 IFSC Code –SBIN0031088 Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

## INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA or payment through NEFT/RTGS in Institute account may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Bid Securing Declaration (Annexure VI) instead of Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **2% of Contract Value** as per GOI OMNo.F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020. If bidders withdraw or modify their bids during the period of validity, or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids/request for proposals document, they will be suspended for the period of time specified in the request for bids/request for proposals document from being eligible to submit Bids/Proposals for contracts with the Procuring Entity.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover to be less than Rs.20 lakhs & his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee & Bid Securing Declaration Form( as per Annexure- I).
6. Scanned copy of acceptance letter
7. Scanned copy of MINIMUM TWO YEARS' of experience in relevant field regarding management and upkeep of goat/sheep flocks in an organized Govt. farm
8. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

## स्वीकारोक्ति पत्र

### संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्यों का वार्षिक अनुबन्ध

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्यों को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है जिसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील  
पूरा पता  
टेलीफोन/मोबाईल नं.

**ए0जी0बी0 विभाग के अन्तर्गत बकरी ईकाई पर कराये जाने वाले कार्य का विवरण :-**

1. बकरी इकाई पर उपलब्ध कुल बकरियों/बकरों की अनुमानित संख्या **650** है जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
2. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में सेक्टर व उसके आस पास के क्षेत्र की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सेक्टर के आस-पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी।
3. अनुबन्धकर्ता को चराई के दौरान संस्थान के जानवरों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी।
4. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगा:-
  - (1) माह अप्रैल से अगस्त तक प्रातः 6-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक ( अवकाश समय के साथ )
  - (2) माह सितम्बर से मार्च तक प्रातः 7-30 बजे से सायं 6-00 बजे तक ( अवकाश समय के साथ )
5. अनुबन्धकर्ता को प्रतिदिन प्रत्येक रेवड़ के जानवरों का दो बार गिनती करना और उसका रिकॉर्ड रखना होगा - एक बार चरने के लिए भेजते समय और दोबारा जब वे चरने के बाद सेक्टर पर लौटे तब। गिनती में किसी भी बेमेल को तुरंत सेक्टर प्रभारी को सूचित करना होगा।
6. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी रखे जा सकते हैं तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
  - (क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकड़ने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी।
  - (ख) समय-समय पर अलग-2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यों में सहायता करनी होगी।
7. चराई क्षेत्र में कोई जानवर बीमार पड़ने से तुरंत सेक्टर प्रभारी को सूचित करना होगा। आवश्यकतानुसार बीमार जानवर को सेक्टर पर लाना होगा।
8. किसी भी बकरा/बकरी/मेंमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाड़ी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।
9. बकरियों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं बकरी एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
10. बकरियों/बकरों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ-2 समयानुसार पेड़ों की छंगाई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छंगाई उचित रूप (वैज्ञानिक तरीके) से करनी होगी तथा जानवरों को दाना/चारा देने का कार्य भी अनुबन्धकर्ता को करना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
11. सेक्टर पर आपूर्तित चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करना होगा। हरे चारे को आपूर्ति के समय तौलना तथा चौफिंग करके ही जानवरों को खिलाना होगा।
12. अनुसंधान के दृष्टिकोण से सभी बकरियों/बकरों/मेंमनों को चराई के लिए निम्नानुसार ले जाया जावे-
  - (क) तीन माह से छोटे बच्चें।
  - (ख) 3 माह से 12 माह तक के मेंमनें/बच्चें जो कि नर एवं मादा अलग-2 हो।
  - (ग) बकरें/बकरियों के रेवड़ निम्न प्रकार होंगे:-
    - (अ) ब्याई हुई बकरियाँ
    - (ब) ग्याबिन बकरियाँ
    - (स) बिना ब्याई बकरियाँ
    - (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार)
    - (य) नर रेवड़
13. बकरा/बकरी/मेंमने के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-
  - (क) प्रक्षेत्र में चराई के दौरान गयाबिन एवं ब्याही हुई बकरियों की विशेष देखभाल करनी होगी इसके लिए गयाबिन एवं ब्याही हुई बकरियों के किसी भी रेवड़ में अधिकतम जानवरों की संख्या 100 तक ही रखनी होगी।
  - (ख) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सेक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।
  - (ग) बकरियों/बकरों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा।
  - (घ) आवश्यकतानुसार बकरियों/बकरों के मेंमनों/बच्चों का वजन करवाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुर्से एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।
  - (ङ) बकरियों के मदकाल की जांच के लिये सुबह व शाम को बकरों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड़ में छोड़ना होगा। मद में आई बकरियों को अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित बकरियों को अलग करना होगा। नवजात

मेंमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खूर कटवाना तथा नम्बर गोदने के कार्य में भी सहायता करना/करवाना होगा ।

(च) दाने को ट्रौली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, बकरियों/बकरों के लिये चारे के शेड से चारा बाड़े में लाना आदि। ब्याई हुई बकरियों के बाड़े में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के शेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।

(छ) वर्ष में कम से कम दो बार सभी बाड़ों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी होगी। सेक्टर के अन्दर व बाहर उगी हुई खरपत वार को हटाकर साफ सफाई सेक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी।

(ज) ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को सेक्टर पर प्रभारी के निर्देशानुसार मेंमनों को दूध पिलाने के उपरान्त शेष बचे दूध को सुबह व सायं निकालना एवं दूध निष्पादन करने वाले ठेकेदार को देना होगा।

(झ) दूध उत्पादन के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए सेक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार ब्याई हुई निर्दिष्ट बकरियों को बच्चों से अलग रखना होगा तथा दूध रिकॉर्डिंग में सहायता करना होगा।

15. अनुबन्ध की अवधि के दौरान बकरी ईकाई पर नये पौधों लगाने व लगे हुये पेड़-पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनको पानी पिलाना होगा।
16. सेक्टर एवं ग्रेजिंग एरिया में अनधिकृत तरीके से बकरियों का दूध निकालते पकड़े जाने पर अनुबन्धकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
17. नए खरीदे गए जानवरों को निर्दिष्ट अवधि के लिए क्वारंटाइन सेक्टर में रखना होगा तथा उनके देखभाल की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को अलग से करनी होगी।
18. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सेक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुंचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

#### **अनुबन्धकर्ता द्वारा उपरोक्त दशाये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगी:-**

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर 600/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि नाजायज मेंमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना 1 से 5 बच्चों तक की राशि रु. 1000 प्रति बच्चा, 6 से 10 मेंमनों/बच्चों तक की राशि रु.1500 प्रति मेंमनों/बच्चा तथा 10 से अधिक बच्चों पर 2000 रु प्रति बच्चे के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी, साथ ही नाजायज बच्चों का चराने एवं रखरखाव का खर्च नहीं दिया जायेगा।
3. बकरियों/बकरों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल में से रु. 200/- प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कटौती की जायेगी।
4. बकरियों/बकरों /मेंमनों को चराते समय जंगली जानवरों का हमला/शिकार हो जाने की स्थिति या अचानक मृत्यु होने पर संबंधित प्रभारी को सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंषा पर बकरियों/बकरों/मेंमनों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी।
5. जानवरों को नहलाते समय अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए जानवर की बुक वेल्यू हर्जाने के रूप में वसूल की जावेगा।
6. यदि अनुबन्धकर्ता परिस्थिति के कारण समय से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो संबंधित सेक्टर प्रभारी को एक माह पूर्व सूचित कर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है परन्तु इसके लिए उसकी जमानत राशि जब्त की जावेगी। साथ ही अनुबन्धकर्ता अगर बिना सूचना के अनुबन्ध छोड़ता है तो उसका संस्थान में प्रवेश वर्जित करने के उपरान्त उसकी जमानत राशि जब्त करते हुए उसे ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा।
7. अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से बकरा/बकरी/मेंमनों के चराई क्षेत्र से गुम अथवा खो जाने की स्थिति में जानवर की बुक वेल्यू का तीन से पांच गुना हजार्ना वसूला जावेगा।
8. किसी भी स्थिति में जानवर चोरी हो जाने से जानवर की बुक वेल्यू का पांच गुना हजार्ना वसूला जावेगा।
9. अनुबन्धकर्ता को समय-समय पर अलग-2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यों में सहायता करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रयोगात्मक कार्य करवाने हेतु आने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
10. प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार बाड़ों की खुदाई तथा नई मिट्टी डालने का कार्य नहीं की जाती है तो संबंधित प्रभारी बाड़ों की खुदाई और नई मिट्टी डालने का कार्य करवाएगा तथा इस कार्य में लगने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
11. बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाड़ों में लगी हुई चैनलिक फेंसिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नहीं होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटौती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।

13. सैक्टर पर उपलब्ध सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्ति के चोरी/खो जाने पर उसकी कीमत की भरपाई अनुबंधकर्ता को करनी होगी ।
14. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबंध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की स्वयं की होगी ।

### अनुबंध की सामान्य नियम व शर्तें

1. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा एवं अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में संबंधित प्रभारी की अनुशंसा से अनुबंध को वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
2. अनुबंधकर्ता/प्रतिनिधि को एक संगठित सरकारी फार्म में बकरी/भेड़ प्रबंधन, रखरखाव आदि कार्यों का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए ।
3. अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि को सेक्टर पर पूरा समय (24 घंटे) के लिये उपलब्ध रहना होगा। वह कभी भी सेक्टर को खाली नहीं छोड़ सकते ।
4. अनुबंध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
5. चरवाहों को बकरी/भेड़ चराने एवं जानवरों को खिलाने के लिए स्थानीय पेड़ पौधों का ज्ञान होना चाहिए तथा जानवरों का टैग नंबर पढ़ना आना चाहिए ।
6. जानवर चराने के लिए लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेंगे। साथ ही चरवाहा बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी/प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा ।
7. सैक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नहीं रख सकेंगे ।
8. अनुबंध की अवधि में अनुबंधकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी ।
9. अनुबंधकर्ता को जानवरों की चराई सेक्टर प्रभारी द्वारा निर्धारित चरागाह क्षेत्र में समयानुसार चराना होगा साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसे—आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने से जानवरों को सैक्टर पर लाना होगा तथा शेड के अंदर रखना होगा। सैक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्य होने की स्थिति में प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार जानवरों को सैक्टर पर लाना होगा ।
10. सर्दियों के मौसम में शेडों में पर्दा लगाना होगा। बिना किसी नुकसान के पर्दों को प्रतिदिन सुबह ऊपर उठाना और शाम को नीचे उतारना होगा। अत्यधिक सर्दी के समय चराई क्षेत्र से सुखी लकड़ी इकट्ठा करके सेक्टर पर लाना होगा तथा सेक्टर प्रभारी द्वारा बताये गए स्थानों पर रात के समय जलाना होगा। जलते हुए लकड़ी से सेक्टर पर आग न फैले इसका भी समुचित ध्यान रखना होगा ।
11. जानवरों की चराई से सम्बन्धित कार्य संस्थान परिसर में संबंधित प्रभारी द्वारा निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। बिना प्रभारी की अनुमति के चरागाह क्षेत्र नहीं बदला जावेगा ।
12. अनुबंधकर्ता को नियमित रूप से चराई क्षेत्र में जा कर जानवरों का उचित चराई की निगरानी करनी होगी ।
13. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी ।
14. अनुबंधकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा ।
15. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
16. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा ।
17. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर /जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी ।
18. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबंधकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है ।
19. अनुबंध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबंधकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी ।
20. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा ।
21. ठेकेदार को अनुबंध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय

- द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
  23. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
  24. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
  25. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
  26. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
  27. सफल ठेकेदार को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
  28. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
  29. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
  30. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) & [e-procure.gov.in](http://e-procure.gov.in) पर उपलब्ध है।

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर  
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांक: 6(377)SP/2017

दिनांक: 02.01.2021

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों/मेमनों को चराने, सुरक्षा करने एवं उनकी देखभाल करने आदि से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने की दरे **BOQ** मे प्रस्तुत करें।

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील  
पूरा पता  
टेलीफोन/मोबाईल नं.



Bid Securing Declaration Form  
[To be submitted on letterhead]

NIT No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

To  
(insert complete name and address of the purchaser)

I/We. The undersigned, declare that:

I/We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration.

I/We accept that I/We may be disqualified from bidding for any contract with you for a period of 01year from the date of notification if I am /We are in a breach of any obligation under the bid conditions, because I/We

a) have withdrawn/modified/amended, impairs or derogates from the tender, my/our Bid during the period of bid validity specified in the form of Bid; or

b) having been notified of the acceptance of our Bid by the purchaser during the period of bid validity  
(i) fail or reuse to execute the contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders.

I/We understand this Bid Securing Declaration shall cease to be valid if I am/we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) the receipt of your notification of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of my/our Bid.

Signed: (insert signature of person whose name and capacity are shown)  
in the capacity of (insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration)

Name: (insert complete name of person signing he Bid Securing Declaration)

Duly authorized to sign the bid for an on behalf of (insert complete name of Bidder)

Dated on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (insert date of signing)

Corporate Seal (where appropriate)

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid)